


39

24362 रु 16

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ब्यालियर (म.प्र.)



- 1— श्रीमती जगदीश कुमारी सिंह पत्नी स्वरूप श्री अरिमर्दन सिंह
- 2— श्रीमती माण्डवी सिंह पुत्री स्वरूप अरिमर्दन सिंह
- 3— श्रीमती उर्मिला सिंह पुत्री स्वरूप अरिमर्दन सिंह

आज दि २७-१२-६४ को श्री अभय सिंह तनय स्वरूप श्री अरिमर्दन सिंह

स्वतु

सभी निवासी कोठी ताला हाउस तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1— श्री कपिध्वज सिंह तनय स्वरूप श्री नरेन्द्र सिंह
- 2— श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्वरूप वीरभद्र सिंह
- 3— (मृतक) श्रीमती शवित सिंह पुत्री स्वरूप श्री वीरभद्र सिंह पत्नी श्री जयवीर सिंह
- 4— श्री मान सिंह तनय स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 5— श्री राज सिंह तनय स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 6— श्री रिपुदमन सिंह तनय स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 7— श्री अजातशत्रु सिंह तनय स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 8— श्री अंशुधर सिंह तनय स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 9— श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुत्री स्वरूप श्री महेन्द्र सिंह
- 10— सुनीती कुमारी सिंह पत्नी स्वरूप श्री कुंवर मोरध्वज सिंह, उम्र 92 वर्ष
- 11— नृपेन्द्र सिंह तनय श्री मोरध्वज सिंह, उम्र 67 वर्ष
- 12— ममता सिंह पत्नी स्वरूप श्री नरेन्द्र सिंह
- 13— श्रुतिकीर्ति सिंह पुत्री स्वरूप श्री नरेन्द्र सिंह

3

Inhaber Dr. B. H.

'הנִזְבֵּחַ

(окон.)

## બનું હતું

የኢትዮጵያ በቃል የሚከተሉት ስምዎች እንደሆነ ተከተሉ ይገባል (የጥር)

Հայոց պատմութեան օրեա վեհի օքան Առաքեած

31. 1995. 10. 20. 10:00 ~ 11:00

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—4362—दो / 2016

जिला—रीवा

श्रीमती जगदीश कुमारी सिंह आदि विरुद्ध श्री कपिघ्वज सिंह आदि

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों के<br>हस्ताक्षर   |
|---------------------|---|--|
| 11-03-2019          | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक क्रमांक 10,11,14, 15 की ओर से श्री डी.एस. चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 84/अ—6/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 16—12—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मोप्र० भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा, जिला—रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> |  |
|                     |   | <p>16/3/2019<br/>(आरोक्तो जैन)<br/>सदस्य</p> |